GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 30th August , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 02 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	बोंडा जनजाति का छात्र ओडिशा में एमबीबीएस कार्यक्रम करने के लिए तैयार है
Page 06 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय भारत में परिसर शुरू करेगा
Page 07 **Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय**	केंद्र सरकार ने 156 'तर्कहीन' निश्चित खुराक संयोजनों पर प्रतिबंध क्यों लगाया
Page 10 **Syllabus : GS 2 : शासन**	सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश पर विवाद
समाचार में पुरस्कार	शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार (NAT) 2024
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति - संवैधानिक निकाय**	जमीनी स्तर पर लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करना
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	विषय: बिम्सटेक

ओडिशा के बोंडा जनजाति के 19 वर्षीय मंगला मुदुली, NEET पास करने के बाद मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए।

- आधुनिक शिक्षा तक न्यूनतम पहुँच वाले एक सुदूर गाँव में पले-बढ़े, उनकी यह उपलब्धि ऐतिहासिक रूप से अलग-थलग और कमज़ोर बोंडा जनजाति के लिए एक पीढ़ीगत छलांग का प्रतीक है।

Bonda tribe student set to pursue MBBS programme in Odisha

'I was first-generation learner from a family which relies on food from the forest. I never imagined that I could earn a livelihood through education'

Satyasundar Barik
BHUBANESWAR

Mangala Muduli, a 19-year-old Bonda tribe student, has undertaken the 420-kilometre journey from Badbel village in Eastern Ghats in Odisha's Malkangiri district to study medicine at MKCG Medical College in Berhampur. The journey represents not just a physical distance but a monumental generational leap.

After cracking this year's National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET), Mangala is set to become the first member of Bonda, a Particularly Vulnerable Tribal Group and one of the oldest tribes of India, which a couple of decades ago was living in isolation and had little interaction with the outside world.

As he rushed through the final preparations for his much-awaited admission into the MBBS programme scheduled on August 30, Mangala pondered how challenging it had been to see his dreams come true, given the disadvantaged position he had started from.

"I along with my siblings was first-generation learner from the family which relies on food sourced from forest and other minor forest produce. I never imagined that I could earn a livelihood through education, and neither did most of the Bondas. While some members of our tribe have ventured into other cities, no one had ever set foot on a medical college campus to study," he said.

New horizons: Mangala Muduli with his family. SPECIAL ARRANGEMENT

One of four brothers and sisters, Mangala started his studies at the government-run Mudulipada Residential School. Now that a new road has been laid between Mudulipada and his village, Badbel, most of the time he would trek the five-kilometre distance between his school and village.

After achieving a 50% score in his matriculation examination, he enrolled in Class 11 at a school 25 kilometres away from his village – an accomplishment in itself, given that many from his tribe drop out after completing Class 10. His elder brother had dropped out and migrated to Andhra Pradesh in search of work.

His science teacher, Utkal Keshari Das, recognised his potential and became a guiding force in his life. Mr. Das mentored him through his studies, eventually getting him admitted to a coaching centre in Balasore, a coastal district. He had even arranged stay for Mangala at his ancestral home, giving wing to his dreams.

The Bonda student used to cycle 8 kilometres daily to prepare for the NEET examination. He secured 348 marks and got a rank of 261 among tribal reserved seats.

"This path from the secluded tribal community to the corridors of medical education signifies not only his personal achievement but also a historic moment for his fellow tribes, marking a new chapter in collective history of the Bondas," said Mr. Das.

ओडिशा की बोंडा जनजाति:

- चुनौतियाँ: बोंडा जनजाति गरीबी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच जैसी समस्याओं का सामना करती है, और वे बाहरी शोषण और आधुनिकीकरण के दबावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं।
- स्थान: बोंडा जनजाति मुख्य रूप से ओडिशा के मलकानगिरी जिले के अलग-थलग पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, खासकर पूर्वी घाट के भीतर बोंडा पहाड़ियों में।
- पीवीटीजी: बोंडा ओडिशा के 13 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में से एक है, जो पूरे भारत में पहचाने जाने वाले 75 पीवीटीजी का हिस्सा है।
- नृजातीयता: वे ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा हैं और भारत की सबसे आदिम जनजातियों में से हैं।
- भाषा: वे बोंडा भाषा बोलते हैं, जो मुंडा भाषा समूह से संबंधित है।
- अर्थव्यवस्था: अपनी पारंपरिक कृषि जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, वे स्थानांतरित खेती करते हैं और शिकारी-संग्राहक हैं।
- विशिष्ट उपस्थिति: बोंडा महिलाएँ अपने न्यूनतम कपड़ों, बड़ी धातु की गर्दन की अंगूठियों और जटिल मनके वाले आभूषणों से पहचानी जाती हैं।
- सामाजिक संरचना: यह जनजाति मातृसत्तात्मक कुलों में संगठित है, जिसमें महिलाएं निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

UPSC Mains PYQ : 2019

प्रश्न: विकास पहलों और पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव से पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बहाल किया जा सकता है?

GEO IAS
It's about quality

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय को यूजीसी नियमों के तहत भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली, जिससे स्थानीय शैक्षिक अवसरों, शोध और सहयोग का विस्तार होगा, जिसकी शुरुआत जुलाई 2025 से होगी।

खबरों का विश्लेषण:

- केंद्र ने भारत में परिसर स्थापित करने के लिए यूके के साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।
- विदेशी परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी नियमों के तहत आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त करने वाला यह पहला विश्वविद्यालय है।
- यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने घोषणा की कि विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई 2025 तक शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की उम्मीद है।
- भारतीय परिसर द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियाँ यूके परिसर से प्राप्त डिग्रियों के बराबर होंगी।
- स्थापना का उद्देश्य भारत में छात्रों के लिए अधिक अध्ययन के अवसर प्रदान करना, शोध को बढ़ावा देना और ज्ञान के आदान-प्रदान, उद्यम और जुड़ाव को बढ़ावा देना है।

Southampton University to start campus in India

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Centre on Thursday issued a Letter of Intent (LoI) to the University of Southampton, United Kingdom, to establish its campus in India, making it the first university to get the LoI under University Grants Commission (UGC) regulations for setting up foreign universities.

UGC Chairman M. Jagadesh Kumar said the university is expected to start its academic programmes in July 2025 and also that the degrees awarded by the Indian campus will be the same as in the host university. Professor Kumar also said that the setting up of the campus will be beneficial for students in terms of extending course and study opportunities in the country, research, knowledge exchange, enterprise, and engagement.

UPSC Prelims PYQ : 2012

प्रश्न: संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत की शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं?

1. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पाँचवीं अनुसूची
4. छठी अनुसूची
5. सातवीं अनुसूची

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3, 4 और 5
(c) केवल 1, 2 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: d)

Page 07 : GS 2 : Social Justice – Health

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य जोखिमों और उनकी सुरक्षा का समर्थन करने वाले अनुसंधान की कमी के कारण 156 निश्चित खुराक संयोजन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- नए विनियामक नियमों और विशेषज्ञ सिफारिशों द्वारा संचालित इस कदम का उद्देश्य दवा प्रतिरोध को रोकना और चिकित्सा उपचारों में सुरक्षित विकल्पों का उपयोग सुनिश्चित करना है।

FDCs are medicines that have two or more active ingredients in a single pill or shot. GETTY IMAGES

Why the Union govt. banned 156 'irrational' fixed dose combinations

Bindu Shajan Perappadan

The Union Health Ministry has recently banned 156 "irrational" fixed dose combinations (FDC) medicines which includes antibiotics, painkillers, and multivitamins. FDCs are medicines that have two or more active ingredients in a single pill, capsule or shot.

As per a gazette notice issued under section 26 A of the Drugs and Cosmetics Act 1940, the Ministry said that the production, marketing, and distribution

The move, according to the Centre, is aimed at safe guarding the public, ensuring that resistance to certain drugs do not develop in large numbers due to irrational use, and to also curb misuse of drug administration where not warranted

of these drugs are now prohibited due to their associated health risks.

Speaking about the need to bring in such measures, a senior Health Ministry official explained that most of the drugs that made it to the banned list were approved by various State authorities but had no research or trials to backup its safe use in humans. "The new drugs and clinical trial rules of 2019 make it clear that fixed dose combinations are to be considered as new drugs and as such must be approved by the central drug regulator," he said.

The move, according to the Union government, is aimed at safeguarding the public, ensuring that resistance to certain drugs do not develop in large numbers due to irrational use, and to also curb the misuse of drug administration (knowingly or otherwise) where not warranted.

Expert committee

Meanwhile, as per the government notification, the matter was examined by an expert committee appointed by the Central Government and other related authorities, with them recommending that there is no therapeutic justification for the ingredients contained in the said FDCs. "The Central government is satisfied that the use of the FDC drug is likely to involve risk to human beings whereas safer alternatives to the said drug are available," notes the Health Ministry.

Mefenamic acid + Paracetamol injection, Cetirizine HCl + Paracetamol + Phenylephrine HCl, Levocetirizine + Phenylephrine HCl + Paracetamol, Paracetamol + Chlorphenamine Maleate + Phenyl Propanolamine and Camylofin Dihydrochloride 25 mg + Paracetamol 300 mg are some of the FDCs on the list.

Speaking about the ban, Anil Bansal, member of the Delhi Medical Association, said that irrational combination drugs can pose significant health risks in a community that is known to buy over-the-counter drugs. "The lack of knowledge and awareness can work against the patient's welfare," he said.

Dr. Bansal added that since these medicines are being introduced into the market without proper research and randomised controlled trials, their safety does come under scrutiny.

(bindu.p@thehindu.co.in)

FDC दवाओं पर हाल ही में प्रतिबंध

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 156 निश्चित खुराक संयोजन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इन FDC में विभिन्न एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन शामिल हैं।
- प्रतिबंध इन दवाओं के उत्पादन, विपणन और वितरण को प्रभावित करता है।

निश्चित खुराक संयोजन (FDC)

- निश्चित खुराक संयोजन (FDC) ऐसी दवाएँ हैं जो दो या अधिक सक्रिय अवयवों को एक खुराक के रूप में मिलाती हैं, जैसे कि गोली या कैप्सूल।
- इन संयोजनों को चिकित्सीय प्रभावकारिता को बढ़ाने, उपचार के नियमों को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन पर्याप्त शोध और सुरक्षा परीक्षणों द्वारा समर्थित नहीं होने पर जोखिम पैदा कर सकते हैं।

प्रतिबंध के कारण

- यह प्रतिबंध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 ए के तहत जारी किया गया था।
- प्रतिबंधित एफडीसी में से कई को राज्य अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता की पुष्टि करने वाले शोध और नैदानिक परीक्षणों का अभाव था।
- 2019 के नए औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियमों के अनुसार, एफडीसी को केंद्रीय औषधि नियामक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- यह प्रतिबंध उन चिंताओं को संबोधित करता है कि इन संयोजनों से उनके तर्कहीन उपयोग के कारण दवा प्रतिरोध और संभावित स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं।
- एक विशेषज्ञ समिति ने प्रतिबंध की सिफारिश की, जिसमें पाया गया कि एफडीसी के लिए कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं था और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध थे।

संभावित निहितार्थ

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा: प्रतिबंध का उद्देश्य स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना और तर्कहीन दवा संयोजनों के खतरों से जनता की रक्षा करना है।
- दवा प्रतिरोध: इन एफडीसी के उपयोग को नियंत्रित करके, सरकार कुछ दवाओं के प्रति प्रतिरोध के विकास को कम करने की उम्मीद करती है।
- बाजार प्रभाव: प्रतिबंध दवा कंपनियों और बाजार में कुछ संयोजन दवाओं की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है।
- बढ़ी हुई जांच: भविष्य में एफडीसी की अधिक जांच और विनियामक निगरानी होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नए संयोजन उचित अनुसंधान और अनुमोदन प्रक्रियाओं से गुजरें।

UPSC Prelims PYQ : 2023

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I: भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मुख्य रूप से सीमित निवारक, प्रोत्साहक और पुनर्वास देखभाल के साथ उपचारात्मक देखभाल पर केंद्रित है।

कथन-II: स्वास्थ्य देखभाल वितरण के लिए भारत के विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण के तहत, राज्य मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II निम्नलिखित का सही स्पष्टीकरण है

b) कथन-I

c) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II निम्नलिखित का सही स्पष्टीकरण नहीं है

d) कथन-I

e) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है

f) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

उत्तर: b)

हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 45 सरकारी पदों पर पार्श्व भर्ती के लिए विज्ञापन वापस ले लिया।

- यह निर्णय राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के हस्तक्षेप के बाद लिया गया, जिसमें ऐसी भर्तियों में आरक्षण की आवश्यकता के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी।

On the controversy over lateral entry into the civil services

Why did the Prime Minister's Office intervene and withdraw the advertisement regarding lateral entry for different positions in government? What is a spoils system and how does it work?

Rangarajan. R

The story so far:
The Union Public Service Commission (UPSC) had withdrawn its advertisement pertaining to lateral recruitment for 45 posts of Joint Secretaries (JS), Directors and Deputy Secretaries (DS) in the government. This follows objections raised by coalition partners and the Opposition as well as the intervention of the Prime Minister's Office (PMO) about the need for reservation in such lateral recruitment.

What is merit versus spoils system?
Merit system entails appointments to government posts after a rigorous selection process by an independent authority. In India, this commenced in the year 1858 when the British introduced the Indian Civil Service (ICS) to select officers for administering the country. After independence, the UPSC conducts exams to select officers for IAS, IPS and other central services. The merit system is aimed at building career bureaucrats who are expected to function without any political leanings and provide independent advice to the incumbent political executive.

The spoils system on the other hand works on the adage 'to the victor belong the spoils.' It is a system where the incumbent political executive appoints its supporters to various posts in the government. It has its origins in the U.S., and continued until 1883 when it was replaced largely by a merit system. At present, out of more than 2.8 million federal government posts, only around 4,000 senior posts are directly appointed by the President.

What is lateral entry?
IAS and other central service officers with more than 15 years of experience are generally posted as JS to head various departments. It is a cutting-edge post where the officers prepare cabinet notes, handle parliamentary questions, liaise with officers of other ministries and State governments.

Lateral entry is when executives from the private sector, public sector undertakings and academia are appointed to senior and middle management positions in the government. There have been instances of lateral entrants who were technocrats being appointed at secretary level posts since independence. Notable examples include former Prime Minister Manmohan Singh, economist Montek Singh Ahluwalia, agriculture scientist M.S. Swaminathan etc. The Second Administrative Reforms Commission (2005) and the NITI Aayog in 2017 had also recommended lateral entrants to bring specialised knowledge and skills into governance.

What are the pros and cons?
Lateral entry brings with it certain tangible benefits. First, it brings much needed specialisation for niche areas of governance like emerging technologies, semiconductors, climate change, digital economy, cyber security etc. Second, it results in infusion of fresh ideas from experts to reinvigorate the system. Third, it also has the potential of making career bureaucrats more responsive thereby bringing in a positive change.

However, it has its own set of significant limitations. The domain expertise and specialisation of IAS officers is their field experience that is hard to match by outside entrants. There can be coordination issues with career bureaucrats. It may also result in opaqueness and conflicts of interests while hiring recruits from private sector.

What can be the way forward?
Notable lateral entrants in the past have been appointees at the secretary level which is the highest position in government departments. At this level, the lateral entrant will be capable of influencing policy decisions. Their performance will also be subjected to greater scrutiny. Even if appointments are to be made at more operational levels of JS, Directors and DS posts, it should be in line with public policy.

In his book *The Tyranny of Merit*, political philosopher Michael Sandel discusses the flaws of placing too much emphasis on merit without pursuing equity. Hence, appointment at these levels should coalesce technical competence with reservation and social justice. Therefore, the intervention from the PMO in the recent episode is welcome.

However, excessive focus on lateral entrants is missing the larger picture. The issues plaguing the system cannot be set right with just a handful of lateral recruits. While there can be genuine grievances about the red-tapism, inefficiency and corruption in administration, it is equally true that career bureaucrats work in a challenging environment. Since governments deal with public money, the system is bound by a plethora of rules. Government performs various roles where the objectives are intangible, which the private sector would not do. Compounding these operational challenges is excessive political interference. A merit system being morphed into a spoils system is a serious threat to Indian bureaucracy and various institutions headed by career bureaucrats.

Autonomy of career bureaucrats is essential for their effective functioning. This includes reasonable independence with respect to postings, tenures and transfers. In this regard, as per Supreme Court judgment in the *T.S.R. Subramanian* case (2013), Civil Service Boards headed by top bureaucrats should be effectively constituted and strengthened at the Centre and States.

Rangarajan. R is a former IAS officer and author of 'Polity Simplified'. Views expressed are personal.

योग्यता बनाम लूट प्रणाली को समझना:

- **योग्यता प्रणाली:**
  - o 1858 में शुरू की गई यह प्रणाली कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी पदों पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित करती है।
  - o भारत में, यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए परीक्षा आयोजित करता है।
  - o इसका उद्देश्य एक तटस्थ नौकरशाही बनाना है जो सरकार को स्वतंत्र सलाह दे सके।

- **लूट प्रणाली:**
  - o अमेरिका में शुरू हुई यह प्रणाली सत्तारूढ़ पार्टी को अपने समर्थकों को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त करने की अनुमति देती है।

o हालाँकि इस प्रणाली को 1883 में बड़े पैमाने पर योग्यता प्रणाली द्वारा बदल दिया गया था, लेकिन यह अभी भी सीमित रूप में मौजूद है, जिसमें वरिष्ठ सरकारी पदों का एक छोटा प्रतिशत सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

- **सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के बारे में:**
  o प्रशासन में लेटरल एंट्री सरकारी संगठनों में निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों की नियुक्ति है।
  o नीति आयोग ने अपने तीन वर्षीय कार्य एजेंडा में इसकी सिफारिश की थी और शासन पर सचिवों के समूह (GoS) ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार में मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कर्मियों को शामिल करने की सिफारिश की थी।

- **उद्देश्य:**
  o पार्श्व प्रवेश दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू किया गया था:
  ♣ सिविल सेवाओं में डोमेन विशेषज्ञता लाना,
  ♣ केंद्र में IAS अधिकारियों की कमी की समस्या का समाधान करना।
  ♣ पार्श्व प्रवेश के साथ, सरकार का लक्ष्य देश के लाभ के लिए सेवा करने के लिए राजस्व, वित्तीय सेवाओं, आर्थिक मामलों, कृषि, सहकारिता और किसानों के कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागरिक उड्डयन, वाणिज्य सहित कई अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों की भर्ती करना है।

- पार्श्व प्रवेश भर्ती की प्रक्रिया:
  o प्रशासन में पार्श्व प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाती है।
  o कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) UPSC को सरकारी विभागों और मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर पार्श्व प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए कहता है।
  o इसके बाद, यूपीएससी इन पदों के लिए पार्श्व भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
  o उम्मीदवारों द्वारा अपना आवेदन जमा करने के बाद, यूपीएससी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेता है और चयनित उम्मीदवारों की सूची डीओपीटी को भेजता है।
  o अनुशंसित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा आम तौर पर 3 से 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

लेटरल एंट्री की आवश्यकता:

- **अधिकारियों की कमी:**
  o DOPT के अनुसार, आईएएस कैडर के लिए 22.48% या 1,510 अधिकारियों की कमी है।
  o IAS और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में संयुक्त रूप से 2,418 अधिकारियों की कमी है।

- **डोमेन विशेषज्ञता:**

o लेटरल एंट्री के माध्यम से, डोमेन विशेषज्ञों को निजी क्षेत्र से केंद्रीय प्रशासन में भर्ती किया जा सकता है।
o यह दक्षता में सुधार करने और शासन वितरण में प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने में सहायक हो सकता है।

- **सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के लाभ:**
  o विशेषज्ञता और विशेषज्ञता: लेटरल एंट्री निजी क्षेत्र से विशेष ज्ञान और अनुभव वाले पेशेवरों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में योगदान करने और शासन की गुणवत्ता बढ़ाने की अनुमति देता है।
  o नवाचार और नए दृष्टिकोण: विविध पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति नए विचार, नवीन दृष्टिकोण और नए दृष्टिकोण लेकर आते हैं, जिससे संभावित रूप से लोक प्रशासन में दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होता है।
  o योग्यता-आधारित चयन: पार्श्व प्रवेश पारंपरिक वरिष्ठता की तुलना में योग्यता, कौशल और अनुभव पर जोर देता है, जिससे सिविल सेवाओं के भीतर प्रदर्शन-उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
  o सीखने की अवस्था को छोटा करना: अनुभवी पेशेवर व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता के बिना जल्दी से अनुकूलन और योगदान कर सकते हैं, जिसकी अक्सर कैरियर नौकरशाहों के लिए आवश्यकता होती है।

सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश के नुकसान:

- सांस्कृतिक और नौकरशाही प्रतिरोध: पारंपरिक सिविल सेवाएँ पार्श्व प्रवेशकों को शामिल करने का विरोध कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से घर्षण, सहयोग की कमी और एकीकरण की चुनौतियाँ हो सकती हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के अनुभव की कमी: पार्श्व प्रवेशकों में सरकारी प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल और लोक प्रशासन की जटिलताओं की समझ की कमी हो सकती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- पूर्वाग्रह की संभावना: पार्श्व प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया को पक्षपाती या राजनीतिक रूप से प्रभावित माना जा सकता है, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ बढ़ सकती हैं।
- अल्पकालिक फोकस: पार्श्व प्रवेश करने वाले पेशेवर दीर्घकालिक सार्वजनिक सेवा प्रतिबद्धताओं के बजाय अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो संभावित रूप से नीतियों की निरंतरता और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

आगे का रास्ता:

- पार्श्व प्रवेश से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए, कुछ उपाय किए जा सकते हैं:
  o उच्च जांच: सचिव स्तर पर नियुक्तियों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे नीतिगत निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
  o सार्वजनिक नीति के साथ एकीकरण: संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे परिचालन स्तरों पर भी, पार्श्व प्रवेशकों को सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।
  o सामाजिक न्याय के साथ योग्यता का संतुलन: नियुक्तियों में तकनीकी योग्यता को आरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए विचारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जैसा कि राजनीतिक दार्शनिक माइकल सैंडल ने जोर दिया है।

भारतीय नौकरशाही में बड़े मुद्दे:

- करियर नौकरशाहों के लिए चुनौतियाँ: लालफीताशाही और अकुशलता की आलोचनाओं के बावजूद, करियर नौकरशाह कई नियमों और राजनीतिक हस्तक्षेप से बंधे एक जटिल वातावरण में काम करते हैं।
- स्वायत्तता को बनाए रखना: नौकरशाहों की प्रभावशीलता उनकी स्वायत्तता पर निर्भर करती है, विशेष रूप से पोस्टिंग, कार्यकाल और स्थानांतरण के संबंध में। केंद्र और राज्य स्तर पर सिविल सेवा बोर्डों को मजबूत करना, जैसा कि टीएसआर सुब्रमण्यम मामले (2013) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित किया गया है, महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

- जबकि पार्श्व प्रवेश कुछ लाभ लाता है, लेकिन इसे भारतीय नौकरशाही के भीतर गहरे मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता को कम नहीं करना चाहिए।
- एक संतुलित दृष्टिकोण जिसमें कैरियर नौकरशाह और पार्श्व प्रवेशकर्ता दोनों शामिल हैं, जिसमें योग्यता, सामाजिक न्याय और स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, प्रभावी शासन के लिए आवश्यक है।

UPSC Mains PYQ : 2020

प्रश्न: "संस्थागत गुणवत्ता आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण चालक है"। इस संदर्भ में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिविल सेवा में सुधार का सुझाव दें।

GEO IAS
It's about quality

Award In News : National Awards to Teachers (NAT) 2024

- हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (एनएटी) 2024 के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 16 शिक्षकों का चयन किया।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में:

- इस पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का जश्न मनाना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है।
- यह पुरस्कार उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के अनुकरणीय शिक्षकों/संकाय सदस्यों को प्रदान किया जाता है।
- पात्रता: यह पुरस्कार भारत के सभी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों/पॉलिटेक्निक के सभी संकाय सदस्यों के लिए खुला है। उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:
  - o नामांकित व्यक्ति नियमित संकाय सदस्य होना चाहिए।
  - o उसके पास कम से कम पाँच साल का पूर्णकालिक अनुभव (स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर) होना चाहिए।
  - o नामांकित व्यक्ति की आयु पुरस्कार के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - o कुलपति/निदेशक/प्राचार्य (नियमित या स्थानापन्न) आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। हालाँकि, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे पदों पर थे, लेकिन 55 वर्ष से कम आयु के हैं और अभी भी सक्रिय सेवा में हैं, वे पात्र हैं।
- विजेताओं को 50,000 रुपये मूल्य का पदक और प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

Moving the spotlight to grassroots democracy

Srikanth Viswanathan

CEO at the Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy

Santosh Nargund

Head, Participatory Governance at the Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy

Empowering and reforming the State Election Commissions are crucial steps

The Election Commission of India (ECI), with its track record of conducting free and fair elections, and on time, to Parliament and State legislatures, has emerged as one of independent India's most credible institutions. Yet, there are 34 State Election Commissions (SECs) that need serious attention and strengthening.

Systemic disempowerment of SECs

The SECs were brought into existence by Articles 243K and 243ZA of the Constitution (introduced by the 73rd and 74th amendments in 1993), which vested them with the superintendence, direction, and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to panchayats and urban local governments (ULGs). In reality, however, SECs are increasingly disempowered and, in certain cases, even in litigation with their State governments.

In a recent case, the Karnataka SEC filed a contempt petition against the Government of Karnataka for reneging on its commitment to the High Court in response to an earlier petition filed by the SEC to allow it to proceed with the delimitation of panchayat raj institutions and conduct elections (already delayed by over three and a half years). The Karnataka government had assured the High Court in December 2023 that it would publish the delimitation and reservation details within two weeks to enable the SEC to conduct elections. In another set of cases filed by the Andhra Pradesh SEC and several others in 2020, the Supreme Court struck down an ordinance of Andhra Pradesh, which hindered elections to the panchayat raj institutions.

Our analysis of the performance audits of the implementation of the 74th Constitutional (Amendment) Act by the Comptroller and Auditor General (CAG) of India across 18 States shows that 1,560 out of 2,240 urban local governments (70%) did not have an elected council at the time of the CAG audit. The CAG, in its Karnataka report, observed that the disempowerment of SECs is, more often than not, the cause for delays in on time elections. Such delays undermine local governments and erode the trust of citizens in these important public institutions.

Janaagraha's Annual Survey of India's City Systems (ASICS), 2023 shows that only 11 out of 34 States and Union Territories have empowered SECs to conduct ward delimitation. These States and Union Territories (namely, the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Bihar, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, Ladakh, Maharashtra, and West Bengal) account for only 35% of India's population, as in the 2011 Census.

Electoral reforms to strengthen third tier

Regular and fair elections to local governments are non-negotiable for meaningful grass-roots democracy and ensuring effective first-mile service delivery in the cities and the villages of the country. The requirement to conduct elections before the expiry of the five-year term of elected local governments is a constitutional mandate and must be as sacrosanct as the elections to the Lok Sabha and Vidhan Sabhas. To ensure this, SECs must be fully empowered on all matters of local government elections, on a par with the Election Commission of India, as observed by the Supreme Court in *Kishan Singh Tomar vs Municipal Corporation of the City of Ahmedabad and Others* (2006). The following reforms are a must in order to bring about this change:

First, there is a need to bring SECs on a par with the Election Commission of India in terms of transparency and independence in constitution and appointment. Notwithstanding the recent dilution in the case of the Election Commission of India, can we not aspire to a three-member SEC which is appointed by a committee that comprises the Chief Minister, Leader of Opposition in the Legislative Assembly (Vidhan Sabha), and the Chief Justice of the High Court? A State government-appointed SEC is just not working. The Union government should amend the 74th Constitutional (Amendment) Act in this context.

Second, the delimitation of ward boundaries and reservations of seats must be mandated only at fixed intervals, say once in 10 years. The absence of this check can lead to State governments acting arbitrarily, causing undue delays in elections to local governments.

Third, the powers of ward delimitation and reservation of seats for local governments must be vested in the SECs. Further, the SECs must be entrusted with reservations to the positions of mayors/presidents, deputy mayors/vice-presidents of the local governments, say once in 10 years, where applicable. Elections to these positions are delayed inordinately after local elections as State governments fail to publish the reservation roster to these positions on time.

Finally, malpractices by presiding officers appointed by the State governments have also emerged – an example is the election of the Mayor in the Chandigarh Municipal Corporation Council in 2024. SECs, therefore, should possibly be entrusted with the election of mayors, presidents, chairpersons, and standing committees.

The views expressed are personal

GS Paper 02 : भारतीय राजनीति – संवैधानिक निकाय

(UPSC CSE (M) GS-2 : 2017) भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनाव सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए वे किस हद तक महत्वपूर्ण हैं? (" (250 w/15m)

UPSC Mains Practice Question भारत में स्थानीय निकाय चुनाव समय पर कराने में राज्य चुनाव आयोगों (SEC) के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। उनकी प्रभावशीलता और स्वायत्तता बढ़ाने के लिए सुधार सुझाएँ। (250 w /15 m)

संदर्भ :

- लेख भारत में राज्य चुनाव आयोगों (एसईसी) के प्रणालीगत अशक्तिकरण की आलोचना करता है, स्थानीय सरकार के चुनावों को प्रभावित करने वाली देरी और कानूनी विवादों पर प्रकाश डालता है।
- यह समय पर और प्रभावी स्थानीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता, नियुक्ति और अधिकार के मामले में एसईसी को भारत के चुनाव आयोग के साथ संरेखित करने के लिए सुधारों का आह्वान करता है।

राज्य चुनाव आयोगों का प्रणालीगत अशक्तिकरण

- राज्य चुनाव आयोग: एसईसी को संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA (1993 में 73 वें और 74 वें संशोधन द्वारा पेश किया गया) द्वारा अस्तित्व में लाया गया था।
- राज्य चुनाव आयोग की शक्तियाँ: पंचायतों और शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी और संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
- अशक्तिकरण और मुकदमेबाजी का बोझ: एसईसी तेजी से अशक्तिकृत हो रहे हैं और कुछ मामलों में, वे अपनी राज्य सरकारों के साथ मुकदमेबाजी में भी उलझे हुए हैं।

राज्य चुनाव आयोगों से संबंधित वर्तमान

- पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य चुनाव में देरी: कर्नाटक एसईसी ने एसईसी द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के परिसीमन और चुनाव कराने (पहले से ही साढ़े तीन साल से अधिक विलंबित) की अनुमति देने के लिए दायर की गई एक पूर्व याचिका के जवाब में कर्नाटक सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से मुकरने के लिए अवमानना याचिका दायर की।
- राज्य चुनाव कराना: कर्नाटक सरकार ने दिसंबर 2023 में उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह एसईसी को चुनाव कराने में सक्षम बनाने के लिए दो सप्ताह के भीतर परिसीमन और आरक्षण विवरण प्रकाशित करेगी।
- चुनावों में बाधा: 2020 में आंध्र प्रदेश एसईसी और कई अन्य द्वारा दायर मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के एक अध्यादेश को रद्द कर दिया, जिसने पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में बाधा डाली।

निष्पादन लेखापरीक्षा परिणाम

- कोई निर्वाचित परिषद नहीं: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा 18 राज्यों में 74 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा से पता चलता है कि CAG लेखापरीक्षा के समय 2,240 शहरी स्थानीय सरकारों में से 1,560 (70%) के पास निर्वाचित परिषद नहीं थी।
- देरी और शक्तिहीनता: CAG ने अपनी कर्नाटक रिपोर्ट में पाया कि SEC का शक्तिहीन होना कई बार समय पर चुनाव में देरी का कारण बनता है, जो स्थानीय सरकारों को कमजोर करता है और इन महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानों में नागरिकों का विश्वास खत्म करता है।
- जनआग्रह का भारत की शहरी प्रणालियों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASICS) 2023: दिखाता है कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 11 ने वार्ड परिसीमन करने के लिए SEC को अधिकार दिया है।
- कुछ ही राज्य सशक्त हैं: ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र

और पश्चिम बंगाल) 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी का केवल 35% हिस्सा हैं।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आवश्यकता

- स्थानीय सरकारों के लिए नियमित और निष्पक्ष चुनाव: सार्थक जमीनी लोकतंत्र और देश के शहरों और गांवों में प्रभावी फर्स्ट-माइल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य हैं।
- चुनाव कराने की पवित्र समयसीमा: निर्वाचित स्थानीय सरकारों के पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने की आवश्यकता एक संवैधानिक अनिवार्यता है और इसे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों की तरह ही पवित्र होना चाहिए।
- SEC को स्थानीय सरकार के चुनावों के सभी मामलों में पूरी तरह से सशक्त होना चाहिए, भारत के चुनाव आयोग के समान, जैसा कि किशन सिंह तोमर बनाम अहमदाबाद शहर के नगर निगम और अन्य (2006) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया था।

तीसरे स्तर को मजबूत करने के लिए चुनावी सुधार

- पारदर्शिता और स्वतंत्रता: सबसे पहले, संविधान और नियुक्ति में पारदर्शिता और स्वतंत्रता के मामले में एसईसी को भारत के चुनाव आयोग के बराबर लाने की आवश्यकता है।
- चयन समिति में सुधार: हम तीन सदस्यीय एसईसी की आकांक्षा कर सकते हैं, जिसे एक समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, न कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एसईसी, जो 74 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम में संशोधन करके काम नहीं कर रहा है।
- वार्ड सीमाओं का परिसीमन और सीटों का आरक्षण: इसे केवल निश्चित अंतराल पर ही अनिवार्य किया जाना चाहिए, जैसे कि 10 वर्षों में एक बार, अन्यथा यह स्थानीय सरकारों के चुनावों में अनुचित देरी का कारण बन सकता है।
- राज्य चुनाव आयोग को अधिकार सौंपना: वार्ड परिसीमन और स्थानीय सरकारों के लिए सीटों के आरक्षण का।
- एसईसी को स्थानीय सरकारों के महापौर/अध्यक्ष, उप महापौर/उपाध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जैसे कि 10 वर्षों में एक बार, जहाँ लागू हो।
- चुनावों की समय-सीमा: स्थानीय चुनावों के बाद इन पदों के लिए चुनाव में अत्यधिक देरी हो जाती है, क्योंकि राज्य सरकारें समय पर इन पदों के लिए आरक्षण रोस्टर प्रकाशित करने में विफल रहती हैं।
- राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ियों को संबोधित करना: इसका एक उदाहरण चंडीगढ़ नगर निगम परिषद में 2024 में मेयर का चुनाव है। महापौर, राष्ट्रपति, अध्यक्ष और स्थायी समितियों के चुनाव का काम संभवतः एसईसी को सौंपा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- प्रभावी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और समय पर स्थानीय चुनावों के लिए, एसईसी को ईसीआई के बराबर पूरी तरह से सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- इन सुधारों को लागू करने से प्रणालीगत मुद्दों को हल करने और भारत में स्थानीय सरकारों की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी)

- राज्य चुनाव आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य सौंपा गया है।

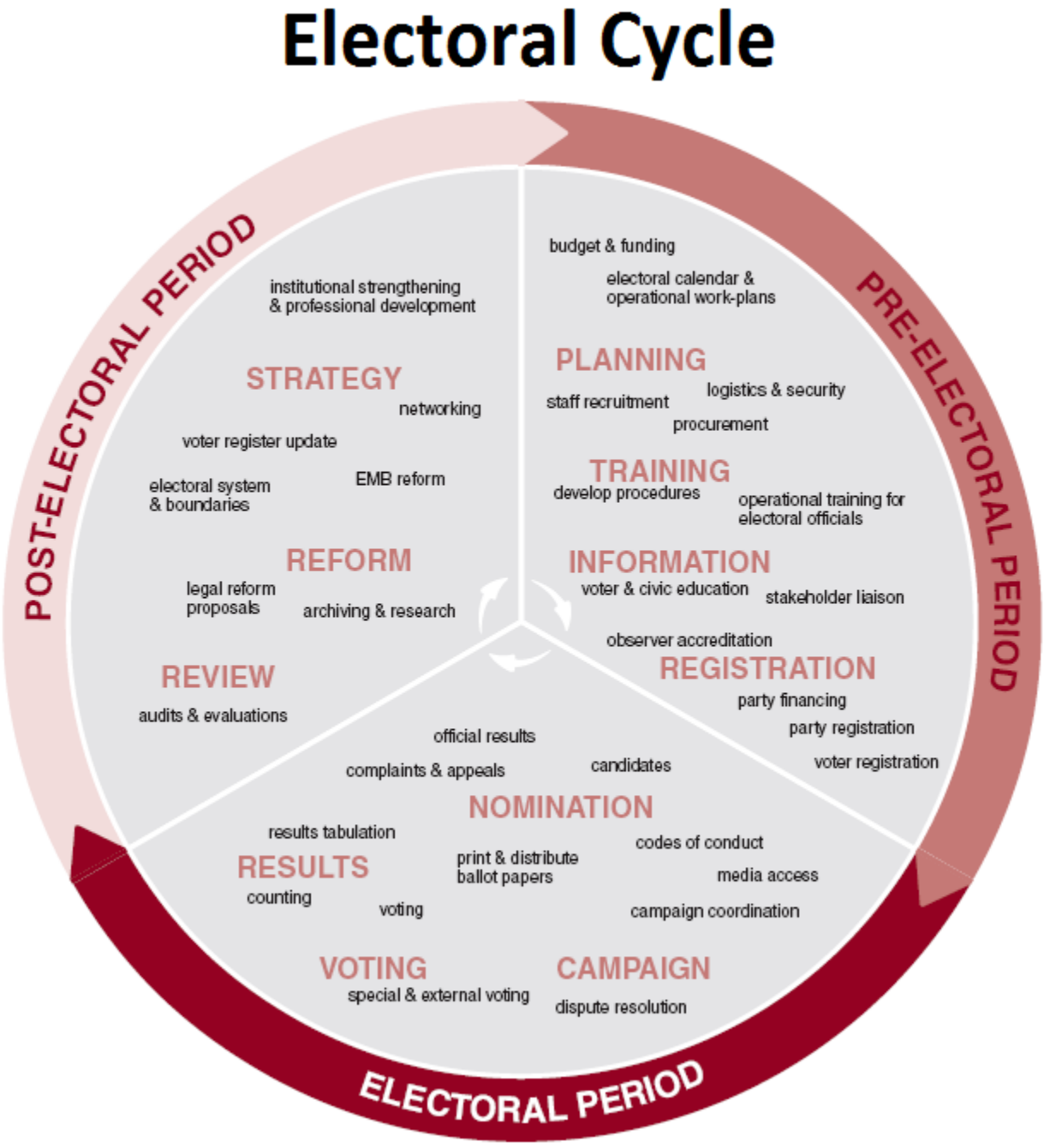

- अनुच्छेद 243K(1): इसमें कहा गया है कि पंचायतों (अनुच्छेद 243ZA के तहत नगर पालिकाओं) के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होगा।

- अनुच्छेद 243K(2): इसमें कहा गया है कि कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित की जाएगी। हालाँकि, राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों पर ही उसके पद से हटाया जाएगा।

GEO IAS
It's about quality

BIMSTEC

- बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है।

  - इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, जो एक क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं।
  - **7 सदस्यों में से,**
    - पाँच दक्षिण एशिया से हैं –
      - बांग्लादेश
      - भूटान
      - भारत
      - नेपाल
      - श्रीलंका
    - **दो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं –**
      - म्यांमार

♣ थाईलैंड

- BIMSTEC न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना; सामाजिक प्रगति में तेजी लाना; और क्षेत्र में साझा हितों के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है।

BIMSTEC की उत्पत्ति

- यह उप-क्षेत्रीय संगठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया।
- शुरू में, इसका गठन चार सदस्य राज्यों के साथ 'BIST-EC' (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के संक्षिप्त नाम से किया गया था।
- म्यांमार को शामिल करने के बाद 1997 में इसका नाम बदलकर 'BIMST-EC' कर दिया गया।
- 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने के साथ ही समूह का नाम बदलकर 'बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल' (बिम्सटेक) कर दिया गया।

बिम्सटेक के मुख्य उद्देश्य

- उप-क्षेत्र के तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना।
- समानता और भागीदारी की भावना को प्रोत्साहित करना।
- सदस्य देशों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना
- शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में एक-दूसरे के लिए समर्थन बढ़ाना।

बिम्सटेक के सिद्धांत

- संप्रभु समानता
- क्षेत्रीय अखंडता
- राजनीतिक स्वतंत्रता
- आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
- पारस्परिक लाभ
- सदस्य देशों को शामिल करते हुए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न बनकर उसका पूरक बनना।

बिम्सटेक की क्षमता

- दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पुल का काम करना और इन देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाना।
- बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में हिंद-प्रशांत विचार का केंद्र बनने की क्षमता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों के रणनीतिक हित एक दूसरे से मिलते हैं।

- सार्क और आसियान सदस्यों के बीच अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के लिए मंच।

- लगभग 1.5 बिलियन लोगों का घर जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है और जिसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 3.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है, बिम्सटेक आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली इंजन के रूप में उभरा है।
- हर साल दुनिया के एक चौथाई व्यापारिक सामान खाड़ी से होकर गुजरते हैं।

महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:

o कलादान मल्टीमॉडल परियोजना - भारत और म्यांमार को जोड़ती है।
o एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग - म्यांमार के माध्यम से भारत और थाईलैंड को जोड़ता है।
o बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता - यात्री और माल यातायात के निर्बाध प्रवाह के लिए।

GEO IAS
It's about quality